कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमॉक / 4102 / अति.जि.दण्डा. / 2020

दुर्ग, दिनॉक 31 मई, 2020

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु एनडीएमए एवं राज्य सरकार व्दारा जारी निर्देशों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्ट्रीट वेंडर्स व्दारा व्यवसाय का संचालन किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों अन्तर्गत लागू रहेगी, जो दुर्ग जिले की सीमा के सभी स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले एवं गुमटियों इत्यादि पर लागू होगा :–

1. ठेले/गुमटी सुबह 07.00 बजे से 06.00 बजे तक खोले जायेंगे।
2. सोमवार से शनिवार तक खोले जायेंगे।
3. 2 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।
4. शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री (यथा फल सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 7 दिन चल सकेंगें।
5. यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहां जोन कमिश्नर तथा TI सामंजस्य से ऑड–ईवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है।
6. विक्रेता–क्रेता दोनों को ही मास्क/कपड़ा/गमछा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा।
7. ठेला संचालक द्वारा ठेले में केवल टेकअवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेंडिंग स्थानों में लगाया जायेगा।
8. सेशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
9. साबुन/सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
10. टेकअवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जायेगी।
11. ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा।

निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही का समन्वय संबंधित जाने कमिश्नर/थाना प्रभारी करेंगें।

31.05.2020

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग